



107 Sunnaten Aur Aadaab (Hindi)

हफ्तावार रिसाला : 349
Weekly Booklet : 349

अमीरे अहले सुन्नत **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ** की किताब
“550 सुन्नतें और आदाब” की एक किस्त

107 सुन्नतें और आदाब

सफ़्हात 22



इयादत की 33 सुन्नतें और आदाब 01

जनाज़े के बारे में 15 सुन्नतें और आदाब 10

क़ब्र व दफ़्न की 22 सुन्नतें और आदाब 13

क़ब्रिस्तान की हाज़िरी की 21 सुन्नतें और आदाब 17

शौखे तरीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दावते इस्लामी, हज़रते अल्लामा मौलाना अबू बिलाल

मुहम्मद इल्यास अत्तार क़ादिरी रज़वी **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
 ط اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

किताब पढ़ने की दुआ

अज़ : शैखे त्रीकत, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, हज़रते अल्लामा
 मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी रज़वी دامت بركاتهم العالیه

दीनी किताब या इस्लामी सबक पढ़ने से पहले नीचे दी हुई दुआ पढ़ लीजिये
 ان شاء الله تعالى जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा। दुआ यह है :

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَاذْشُرْ
 عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

तरजमा : ऐ अल्लाह पाक ! हम पर इल्मो हिक्मत के दरवाजे खोल दे और हम पर अपनी
 रहमत नाज़िल फ़रमा ! ऐ अज़मत और बुजुर्गी वाले। (मुस्तज़फ़ ज १, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८, ७९, ८०, ८१, ८२, ८३, ८४, ८५, ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९, १००, १०१, १०२, १०३, १०४, १०५, १०६, १०७, १०८, १०९, ११०, १११, ११२, ११३, ११४, ११५, ११६, ११७, ११८, ११९, १२०, १२१, १२२, १२३, १२४, १२५, १२६, १२७, १२८, १२९, १३०, १३१, १३२, १३३, १३४, १३५, १३६, १३७, १३८, १३९, १४०, १४१, १४२, १४३, १४४, १४५, १४६, १४७, १४८, १४९, १५०, १५१, १५२, १५३, १५४, १५५, १५६, १५७, १५८, १५९, १६०, १६१, १६२, १६३, १६४, १६५, १६६, १६७, १६८, १६९, १७०, १७१, १७२, १७३, १७४, १७५, १७६, १७७, १७८, १७९, १८०, १८१, १८२, १८३, १८४, १८५, १८६, १८७, १८८, १८९, १९०, १९१, १९२, १९३, १९४, १९५, १९६, १९७, १९८, १९९, २००, २०१, २०२, २०३, २०४, २०५, २०६, २०७, २०८, २०९, २१०, २११, २१२, २१३, २१४, २१५, २१६, २१७, २१८, २१९, २२०, २२१, २२२, २२३, २२४, २२५, २२६, २२७, २२८, २२९, २३०, २३१, २३२, २३३, २३४, २३५, २३६, २३७, २३८, २३९, २४०, २४१, २४२, २४३, २४४, २४५, २४६, २४७, २४८, २४९, २५०, २५१, २५२, २५३, २५४, २५५, २५६, २५७, २५८, २५९, २६०, २६१, २६२, २६३, २६४, २६५, २६६, २६७, २६८, २६९, २७०, २७१, २७२, २७३, २७४, २७५, २७६, २७७, २७८, २७९, २८०, २८१, २८२, २८३, २८४, २८५, २८६, २८७, २८८, २८९, २९०, २९१, २९२, २९३, २९४, २९५, २९६, २९७, २९८, २९९, ३००, ३०१, ३०२, ३०३, ३०४, ३०५, ३०६, ३०७, ३०८, ३०९, ३१०, ३११, ३१२, ३१३, ३१४, ३१५, ३१६, ३१७, ३१८, ३१९, ३२०, ३२१, ३२२, ३२३, ३२४, ३२५, ३२६, ३२७, ३२८, ३२९, ३३०, ३३१, ३३२, ३३३, ३३४, ३३५, ३३६, ३३७, ३३८, ३३९, ३४०, ३४१, ३४२, ३४३, ३४४, ३४५, ३४६, ३४७, ३४८, ३४९, ३५०, ३५१, ३५२, ३५३, ३५४, ३५५, ३५६, ३५७, ३५८, ३५९, ३६०, ३६१, ३६२, ३६३, ३६४, ३६५, ३६६, ३६७, ३६८, ३६९, ३७०, ३७१, ३७२, ३७३, ३७४, ३७५, ३७६, ३७७, ३७८, ३७९, ३८०, ३८१, ३८२, ३८३, ३८४, ३८५, ३८६, ३८७, ३८८, ३८९, ३९०, ३९१, ३९२, ३९३, ३९४, ३९५, ३९६, ३९७, ३९८, ३९९, ४००, ४०१, ४०२, ४०३, ४०४, ४०५, ४०६, ४०७, ४०८, ४०९, ४१०, ४११, ४१२, ४१३, ४१४, ४१५, ४१६, ४१७, ४१८, ४१९, ४२०, ४२१, ४२२, ४२३, ४२४, ४२५, ४२६, ४२७, ४२८, ४२९, ४३०, ४३१, ४३२, ४३३, ४३४, ४३५, ४३६, ४३७, ४३८, ४३९, ४४०, ४४१, ४४२, ४४३, ४४४, ४४५, ४४६, ४४७, ४४८, ४४९, ४५०, ४५१, ४५२, ४५३, ४५४, ४५५, ४५६, ४५७, ४५८, ४५९, ४६०, ४६१, ४६२, ४६३, ४६४, ४६५, ४६६, ४६७, ४६८, ४६९, ४७०, ४७१, ४७२, ४७३, ४७४, ४७५, ४७६, ४७७, ४७८, ४७९, ४८०, ४८१, ४८२, ४८३, ४८४, ४८५, ४८६, ४८७, ४८८, ४८९, ४९०, ४९१, ४९२, ४९३, ४९४, ४९५, ४९६, ४९७, ४९८, ४९९, ५००, ५०१, ५०२, ५०३, ५०४, ५०५, ५०६, ५०७, ५०८, ५०९, ५१०, ५११, ५१२, ५१३, ५१४, ५१५, ५१६, ५१७, ५१८, ५१९, ५२०, ५२१, ५२२, ५२३, ५२४, ५२५, ५२६, ५२७, ५२८, ५२९, ५३०, ५३१, ५३२, ५३३, ५३४, ५३५, ५३६, ५३७, ५३८, ५३९, ५४०, ५४१, ५४२, ५४३, ५४४, ५४५, ५४६, ५४७, ५४८, ५४९, ५५०, ५५१, ५५२, ५५३, ५५४, ५५५, ५५६, ५५७, ५५८, ५५९, ५६०, ५६१, ५६२, ५६३, ५६४, ५६५, ५६६, ५६७, ५६८, ५६९, ५७०, ५७१, ५७२, ५७३, ५७४, ५७५, ५७६, ५७७, ५७८, ५७९, ५८०, ५८१, ५८२, ५८३, ५८४, ५८५, ५८६, ५८७, ५८८, ५८९, ५९०, ५९१, ५९२, ५९३, ५९४, ५९५, ५९६, ५९७, ५९८, ५९९, ६००, ६०१, ६०२, ६०३, ६०४, ६०५, ६०६, ६०७, ६०८, ६०९, ६१०, ६११, ६१२, ६१३, ६१४, ६१५, ६१६, ६१७, ६१८, ६१९, ६२०, ६२१, ६२२, ६२३, ६२४, ६२५, ६२६, ६२७, ६२८, ६२९, ६३०, ६३१, ६३२, ६३३, ६३४, ६३५, ६३६, ६३७, ६३८, ६३९, ६४०, ६४१, ६४२, ६४३, ६४४, ६४५, ६४६, ६४७, ६४८, ६४९, ६५०, ६५१, ६५२, ६५३, ६५४, ६५५, ६५६, ६५७, ६५८, ६५९, ६६०, ६६१, ६६२, ६६३, ६६४, ६६५, ६६६, ६६७, ६६८, ६६९, ६७०, ६७१, ६७२, ६७३, ६७४, ६७५, ६७६, ६७७, ६७८, ६७९, ६८०, ६८१, ६८२, ६८३, ६८४, ६८५, ६८६, ६८७, ६८८, ६८९, ६९०, ६९१, ६९२, ६९३, ६९४, ६९५, ६९६, ६९७, ६९८, ६९९, ७००, ७०१, ७०२, ७०३, ७०४, ७०५, ७०६, ७०७, ७०८, ७०९, ७१०, ७११, ७१२, ७१३, ७१४, ७१५, ७१६, ७१७, ७१८, ७१९, ७२०, ७२१, ७२२, ७२३, ७२४, ७२५, ७२६, ७२७, ७२८, ७२९, ७३०, ७३१, ७३२, ७३३, ७३४, ७३५, ७३६, ७३७, ७३८, ७३९, ७४०, ७४१, ७४२, ७४३, ७४४, ७४५, ७४६, ७४७, ७४८, ७४९, ७५०, ७५१, ७५२, ७५३, ७५४, ७५५, ७५६, ७५७, ७५८, ७५९, ७६०, ७६१, ७६२, ७६३, ७६४, ७६५, ७६६, ७६७, ७६८, ७६९, ७७०, ७७१, ७७२, ७७३, ७७४, ७७५, ७७६, ७७७, ७७८, ७७९, ७८०, ७८१, ७८२, ७८३, ७८४, ७८५, ७८६, ७८७, ७८८, ७८९, ७९०, ७९१, ७९२, ७९३, ७९४, ७९५, ७९६, ७९७, ७९८, ७९९, ८००, ८०१, ८०२, ८०३, ८०४, ८०५, ८०६, ८०७, ८०८, ८०९, ८१०, ८११, ८१२, ८१३, ८१४, ८१५, ८१६, ८१७, ८१८, ८१९, ८२०, ८२१, ८२२, ८२३, ८२४, ८२५, ८२६, ८२७, ८२८, ८२९, ८३०, ८३१, ८३२, ८३३, ८३४, ८३५, ८३६, ८३७, ८३८, ८३९, ८४०, ८४१, ८४२, ८४३, ८४४, ८४५, ८४६, ८४७, ८४८, ८४९, ८५०, ८५१, ८५२, ८५३, ८५४, ८५५, ८५६, ८५७, ८५८, ८५९, ८६०, ८६१, ८६२, ८६३, ८६४, ८६५, ८६६, ८६७, ८६८, ८६९, ८७०, ८७१, ८७२, ८७३, ८७४, ८७५, ८७६, ८७७, ८७८, ८७९, ८८०, ८८१, ८८२, ८८३, ८८४, ८८५, ८८६, ८८७, ८८८, ८८९, ८९०, ८९१, ८९२, ८९३, ८९४, ८९५, ८९६, ८९७, ८९८, ८९९, ९००, ९०१, ९०२, ९०३, ९०४, ९०५, ९०६, ९०७, ९०८, ९०९, ९१०, ९११, ९१२, ९१३, ९१४, ९१५, ९१६, ९१७, ९१८, ९१९, ९२०, ९२१, ९२२, ९२३, ९२४, ९२५, ९२६, ९२७, ९२८, ९२९, ९३०, ९३१, ९३२, ९३३, ९३४, ९३५, ९३६, ९३७, ९३८, ९३९, ९४०, ९४१, ९४२, ९४३, ९४४, ९४५, ९४६, ९४७, ९४८, ९४९, ९५०, ९५१, ९५२, ९५३, ९५४, ९५५, ९५६, ९५७, ९५८, ९५९, ९६०, ९६१, ९६२, ९६३, ९६४, ९६५, ९६६, ९६७, ९६८, ९६९, ९७०, ९७१, ९७२, ९७३, ९७४, ९७५, ९७६, ९७७, ९७८, ९७९, ९८०, ९८१, ९८२, ९८३, ९८४, ९८५, ९८६, ९८७, ९८८, ९८९, ९९०, ९९१, ९९२, ९९३, ९९४, ९९५, ९९६, ९९७, ९९८, ९९९, १०००)

नोट : अव्वल आखिर एक एक बार दुरुद शरीफ़ पढ़ लीजिये।

तालिबे गुमे मदीना
 व बक्वीअ
 व मरिफ़रत



13 शव्वालुल मुकर्रम 1428 हि.

नामे रिसाला : 107 सुन्नतें और आदाब

सिने त्बाअत : शव्वालुल मुकर्रम 1445 हि., एप्रिल 2024 ई.

ता'दाद : 000

नाशिर : मक्तबतुल मदीना

मदनी इलितजा : किसी और को यह रिसाला छापने की इजाज़त नहीं है।

ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट (दा'वते इस्लामी इन्डिया)

येह रिसाला "107 सुन्नतें और आदाब"

शैखे तरीकत, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार क़ादिरी रज़वी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ ने उर्दू ज़बान में तहरीर फ़रमाया है।

ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट ने इस रिसाले को हिन्दी रस्मुल ख़त में तरतीब दे कर पेश किया है और मक्तबतुल मदीना से शाएअ करवाया है। इस रिसाले में अगर किसी जगह कमी बेशी या ग़लती पाएं तो ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट को (ब ज़रीअए Whatsapp, Email या SMS) मुत्तलअ फ़रमा कर सवाब कमाइये।

राबिता : ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट

मक्तबतुल मदीना, सिलेक्टेड हाउस, अलिफ़ की मस्जिद के सामने,
तीन दरवाज़ा, अहमदआबाद-1, गुजरात।

MO. 98987 32611 • E-mail : hind.printing92@gmail.com

क़ियामत के रोज़ हसरत

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : सब से ज़ियादा हसरत क़ियामत के दिन उस को होगी जिसे दुन्या में इल्म हासिल करने का मौक़अ मिला मगर उस ने हासिल न किया और उस शख़्स को होगी जिस ने इल्म हासिल किया और दूसरों ने तो उस से सुन कर नफ़अ उठाया लेकिन इस ने न उठाया (या'नी उस इल्म पर अमल न किया)।

(تاريخ دمشق لابن عساکر ج ٥١ ص ١٣٨ دار الفکر بیروت)

किताब के ख़रीदार मुतवज्जेह हों

किताब की त़बाअत में नुमायां ख़राबी हो या सफ़हात कम हों या बाइन्डिंग में आगे पीछे हो गए हों तो मक्तबतुल मदीना से रुजूअ फ़रमाइये।

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ ط
 أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

येह मज़मून किताब “550 सुन्नतें और आदाब” के सफ़्हा 72 ता 90 से लिया गया है।

107 सुन्नतें और आदाब

दुआए अत्तार : या रब्बल मुस्तफ़ा ! जो कोई 20 सफ़्हात का रिसाला :
 “107 सुन्नतें और आदाब” पढ़ या सुन ले उसे अपने सब से आख़िरी
 नबी صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की सुन्नतों से महबूबत और उन पर अमल करने की
 तौफ़ीक़ दे और मां बाप समेत उस की बे हिसाब मग़िफ़रत फ़रमा ।

أَمِينَ يَجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

दुरूद शरीफ़ की फ़ज़ीलत

फ़रमाने आख़िरी नबी صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुझ पर एक
 मरतबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर दस रहमतें भेजता और उस के
 नामए आ'माल में दस नेकियां लिखता है । (ترمذی، 28/2، حدیث: 484)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ❀❀❀ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

“इयादत करना नबिय्ये करीम की प्यारी प्यारी सुन्नत है” के
 तैंतीस हुरूफ़ की निस्बत से इयादत की 33 सुन्नतें और आदाब

8 फ़रामीने मुस्तफ़ा صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : (1) **عُودُوا الْهَرِيصُ** । या'नी
 मरीज़ की इयादत करो । (الادب المفرد، ص 137، حدیث: 518) (2) जो शख्स किसी
 मरीज़ की इयादत के लिये जाता है तो अल्लाह पाक उस पर पछत्तर हज़ार
 (75000) फ़िरिश्तों का साया करता है, उस के हर क़दम उठाने पर उस के

लिये एक नेकी लिखता है, हर कदम रखने पर उस का एक गुनाह मिटाता है और एक दरजा बुलन्द फ़रमाता है यहां तक कि वोह अपनी जगह पर बैठ जाए, जब वोह बैठ जाता है तो रहमत उसे ढांप लेती है और अपने घर वापस आने तक रहमत उसे ढांपे रहेगी। (4396: حدیث: 222/3, معجم اوسط, 3) ﴿3﴾ जो शख्स किसी मरीज़ की इयादत को जाता है तो आस्मान से एक पुकारने वाला पुकारता है : तुझे बिशारत (या'नी खुश ख़बरी) हो तेरा चलना अच्छा है और तू ने जन्नत की एक मन्ज़िल को अपना ठिकाना बना लिया। (1443: حدیث: 192/2, ابن ماجه, 2) ﴿4﴾ जो मुसल्मान किसी मुसल्मान की इयादत के लिये सुब्ह को जाए तो शाम तक उस के लिये सत्तर हज़ार (70000) फ़िरिशते इस्तिग़फ़ार (या'नी बख़्शिश की दुआ) करते हैं और शाम को जाए तो सुब्ह तक सत्तर हज़ार (70000) फ़िरिशते इस्तिग़फ़ार करते हैं और उस के लिये जन्नत में एक बाग़ होगा। (971: حدیث: 290/2, ترمذی, 2) ﴿5﴾ जिस ने अच्छे तरीक़े से वुजू किया फिर सवाब की निय्यत से अपने मुसल्मान भाई की इयादत की तो उसे जहन्नम से 70 साल के फ़ासिले तक दूर कर दिया जाएगा। (3097: حدیث: 248/3, ابوداؤد, 3) ﴿6﴾ जब तू मरीज़ के पास जाए तो उस से कह कि तेरे लिये दुआ करे कि उस की दुआ फ़िरिशतों की दुआ की मानिन्द है। (1441: حدیث: 191/2, ابن ماجه, 2) ﴿7﴾ मरीज़ जब तक तन्दुरुस्त न हो जाए उस की कोई दुआ रद नहीं होती। (19: حدیث: 166/4, الترغیب والترہیب, 4) ﴿8﴾ जब कोई मुसल्मान किसी मुसल्मान की इयादत को जाए तो 7 बार येह दुआ पढ़े :
 (1) **أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ، رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ أَنْ يَسْفِيكَ۔**
 उसे शिफ़ा हो जाएगी। (3106: حدیث: 251/3, ابوداؤد, 3) ﴿9﴾ **इयादत की ता'रीफ़ :**

① ... तरजमा : मैं अज़मत वाले, अर्शे अज़ीम के मालिक अल्लाह पाक से तेरे लिये शिफ़ा का सुवाल करता हूँ।

लुगुवी मा'ना : बीमार के पास जा कर उस की मिजाज पुरसी करना (या'नी तबीअत पूछना) । (उर्दू लुगत, 13/604) ﴿10﴾ मरीज की **इयादत** करना सुन्नत है । अगर मा'लूम है कि **इयादत** के लिये जाने से उस बीमार पर गिरां (या'नी ना गवार) गुजरेगा, ऐसी हालत में **इयादत** के लिये मत जाइये (बहारे शरीअत, 3/505) । ﴿11﴾ अगर मरीज से आप के दिल में नाराजी या तबीअत को इस से मुनासबत नहीं फिर भी **इयादत** कीजिये ﴿12﴾ इत्तिबाए सुन्नत की नियत से **इयादत** कीजिये अगर महूज इस लिये बीमार पुरसी (या'नी इयादत) की, कि जब मैं बीमार पडूं तो वोह भी मेरी इयादत के लिये आए तो सवाब नहीं मिलेगा ﴿13﴾ किसी की **इयादत** के लिये जाएं और मरज की सख्ती देखें तो उस को डराने वाली बातें न करें मसलन तुम्हारी हालत खराब है और न ही इस अन्दाज पर सर हिलाएं जिस से हालत का खराब होना समझा जाता है ﴿14﴾ इयादत के मौक़अ पर मरीज या दुखी शख्स के सामने मौक़अ की मुनासबत से अपने चेहरे पर रन्जो ग़म की कैफ़ियत ज़ाहिर कीजिये ﴿15﴾ बातचीत का अन्दाज हरगिज ऐसा न हो कि मरीज या उस के अजीज को वस्वसा आए कि येह हमारी परेशानी पर खुश हो रहा है ! ﴿16﴾ मरीज के घर वालों से भी इज़हारे हमदर्दी कीजिये और जो ख़िदमत या तआवुन कर सकते हों कीजिये ﴿17﴾ मरीज के पास जा कर उस की तबीअत पूछिये और उस के लिये सिद्दहतो अ़फ़ियत की दुआ कीजिये ﴿18﴾ मुस्तफ़ा जाने रहमत صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की मुबारक अ़ादत येह थी कि जब किसी मरीज की **इयादत** को तशरीफ़ ले जाते तो येह फ़रमाते : ﴿19﴾ मरीज से

① ... तरजमा : कोई हरज की बात नहीं अल्लाह पाक ने चाहा तो येह मरज (गुनाहों से) पाक करने वाला है ।

अपने लिये दुआ करवाइये कि मरीज़ की दुआ रद नहीं होती ﴿20﴾ **फ़रमाने मुस्तफ़ा** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : मरीज़ की पूरी इयादत यह है कि उस की पेशानी पर हाथ रख कर पूछे कि मिजाज कैसा है ? (2740: حدیث: 334/4/ (ترغی، 4)) ﴿21﴾ हज़रते मुफ़्ती अहमद यार ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ इस हदीसे पाक के तहत फ़रमाते हैं : या'नी जब कोई शख्स किसी बीमार की मिजाज पुरसी करने जावे तो अपना हाथ उस की पेशानी पर रखे फिर ज़बान से येह (या'नी आप की तबीअत कैसी है ?) कहे, इस से बीमार को तसल्ली होती है, मगर बहुत देर तक हाथ न रखे रहे, येह हाथ रखना इज़्हारे महब्बत के लिये है। (मिरआतुल मनाजीह, 6/358, मुलख़ख़सन) ﴿22﴾ अगर पेशानी पर हाथ रखने से मरीज़ को तक्लीफ़ होती हो तो हाथ मत रखिये, और अगर मरीज़ अम्द (बल्कि ग़ैरे अम्द भी) हो और हाथ रखने से مَعَادِ اللهُ “गन्दी लज़्ज़त” आती हो तो हाथ रखना गुनाह है, और अगर देखने से ऐसा होता हो तो देखना भी हराम है। ﴿23﴾ मरीज़ के सामने ऐसी बातें करनी चाहिएं जो उस के दिल को भली मा'लूम हों, बीमारी के फ़ज़ाइल और **अल्लाह** पाक की रहमत के तज़्किरे कीजिये ताकि उस का ज़ेहन सवाबे आख़िरत की तरफ़ माइल हो और वोह शिक्वा व शिकायत के अल्फ़ाज़ ज़बान पर न लाए ﴿24﴾ इयादत करते हुए मौक़अ की मुनासबत से मरीज़ को नेकी की दा'वत भी पेश कीजिये, खुसूसन **नमाज़** की पाबन्दी का ज़ेहन दीजिये कि बीमारियों में कई नमाज़ी भी नमाज़ों से ग़ाफ़िल हो जाते हैं ﴿25﴾ मरीज़ को **FGN चैनल** देखने की रग़बत दिलाइये और उस की बरकतों से आगाह कीजिये ﴿26﴾ मरीज़ को मदनी क़ाफ़िलों में सफ़र की और खुद सफ़र के क़ाबिल न हो तो अपनी तरफ़ से घर के किसी फ़र्द को सफ़र करवाने की तरगीब दिलाइये और

मदनी काफ़िलों की वोह मदनी बहारें सुनाइये जिन में दुआओं की बरकतों से मरीज़ को शिफ़ाएं मिली हैं ﴿27﴾ मरीज़ के पास ज़ियादा देर तक न बैठिये और न शोरो गुल कीजिये हां अगर बीमार खुद ही देर तक बिठाए रखने का ख़्वाहिश मन्द हो तो मुम्किना सूरत में आप उस के ज़ब्बात का एहतिराम कीजिये ﴿28﴾ बा'ज़ लोगों की आदत होती है कि मरीज़ या उस के नुमायन्दे से मिलते हैं तो कुछ न कुछ इलाज बताते हैं और बा'ज़ तो मरीज़ से इसरार करते हैं कि मैं जो इलाज बता रहा हूं वोह कर लो, फुलां दवा ले लो, ठीक हो जाओगे ! मरीज़ को चाहिये कि हर किसी का बताया हुआ इलाज न करे, कि “नीम हकीम ख़तूरए जान”, किसी का बताया हुआ इलाज करने से पहले अपने त़बीब से मश्वरा कर ले । ख़बरदार ! जो माहिर त़बीब न होने के बा वुजूद मरीज़ों के इलाज में हाथ डाल देते हैं वोह गुनहगार होते हैं । आ'ला हज़रत رَضِيَ اللهُ عَنْهُ फ़रमाते हैं : और ना अह्ल (या'नी जो माहिर त़बीब न हो उस) को इस (या'नी इलाज) में हाथ डालना हराम है और उस (या'नी इलाज में हाथ डालने) का तर्क (या'नी छोड़ देना) फ़र्ज़ । (फ़तावा रज़विय्या, 24/206) ﴿29﴾ मरीज़ की इयादत के मौक़अ पर फल या बिस्किट वगैरा तोहफ़े में लाना उम्दा काम है मगर न लाने की सूरत में इयादत ही न करना और दिल में येह ख़याल करना कि अगर कुछ न ले कर जाएगा तो वोह क्या सोचेंगे कि ख़ाली हाथ इयादत के लिये आ गए, ख़ाली हाथ भी इयादत कर लेनी चाहिये कि न करना सवाब से महरूम का बाइस है ﴿30﴾ इयादत के लिये जाते हुए बा'ज़ लोग गुलदस्ते ले जाते हैं, येह भी जाइज़ है मगर देखा गया है कि जिस को दिया उमूमन उस को

काम नहीं आता, लिहाजा वोह चीज़ गिफ़्ट (GIFT) में दी जाए जो काम आए। मश्वरतन अर्ज़ है कि गुलदस्ते की जगह या उस के साथ जहां मुनासिब हो वहां मक्तबतुल मदीना के कुछ रसाइल ले जा कर मरीज़ को पेश कीजिये ताकि वोह मुलाक़ातियों, (और अगर अस्पताल में हो तो) पड़ोसी मरीज़ों और उन के अज़ीजों को तोहफ़तन दे सकें बल्कि ज़हे नसीब ! मरीज़ खुद भी कुछ रसाइल हदिय्यतन मंगवा कर इस गरज़ से अपने पास रख कर सवाब कमाएं लेकिन रसाइल का इन्तिखाब सोच समझ कर करें ﴿31﴾ फ़ासिक़ की इयादत भी जाइज़ है, क्यूं कि इयादत हुकूके इस्लाम से है और फ़ासिक़ भी मुस्लिम है। (बहारे शरीअत, 3/505) ﴿32﴾ मुरतद और काफ़िर की इयादत जाइज़ नहीं। ﴿33﴾ बद मज़हब जिस की बद मज़हबी कुफ़्र तक न पहुंची हो उस की इयादत करना मन्अ है।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ❁❁❁ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

“सफ़ेद कफ़न में कफ़नाओ” के सोलह हुरूफ़ की निस्बत से
कफ़न की 16 सुन्नतें और आदाब

6 फ़रामीने मुस्तफ़ा صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : ﴿1﴾ जो मय्यित को कफ़न दे तो उस के लिये मय्यित के हर बाल के बदले में एक नेकी है। (تاريخ بغداد، 4/263) हज़रते अल्लामा अब्दुररऊफ़ मुनावी رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ हदीसे पाक के इस हिस्से “जो मय्यित को कफ़न दे” के तहूत फ़रमाते हैं : या’नी जिस ने अपने माल से मय्यित के कफ़न का इन्तिज़ाम किया। (التيسير بشرح جامع الصغير، 2/442) ﴿2﴾ जो मय्यित को कफ़न दे अल्लाह पाक उसे जन्नत के बारीक और मोटे रेशम का लिबास पहनाएगा (متدرک، 1/690، حدیث: 1380) ﴿3﴾ जो किसी मय्यित को नहलाए,

कफ़न दे, खुशबू लगाए, जनाज़ा उठाए, नमाज़ पढ़े और जो नाक़िस बात नज़र आए उसे छुपाए वोह अपने गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसा जिस दिन मां के पेट से पैदा हुवा था। (1462: حدیث: 201/2, ابن ماجه) इस हिस्से हदीस “नाक़िस बात” से मुराद येह है कि जो बात ज़ाहिर करने के क़ाबिल न हो जैसे चेहरे का रंग सियाह हो जाना। ﴿4﴾ अपने मुर्दों को अच्छा कफ़न दो क्यूं कि वोह अपनी क़ब्रों में आपस में मुलाक़ात करते और (अच्छे कफ़न से) तफ़ाख़ुर करते (या'नी खुश होते) हैं। (317: حدیث: 98/1, مسند الفردوس) ﴿5﴾ जब तुम में से कोई अपने भाई को कफ़न दे तो उसे अच्छा कफ़न दे। (943: حدیث: 470, مسلم) ﴿6﴾ अपने मुर्दों को सफ़ेद कफ़न दो। (996: حدیथ: 301/2, ترمذی)

कफ़न पहनाने की निय्यत

﴿7﴾ कफ़न पहनाने की निय्यत : अल्लाह पाक की रिज़ा पाने के लिये और अपनी मौत के बा'द खुद को पहनाए जाने वाले कफ़न को याद करते हुए अदाए फ़र्ज़ के लिये मय्यित को सुन्नत के मुताबिक़ कफ़न पहनाऊंगा ﴿8﴾ मय्यित को कफ़न देना “फ़र्जे किफ़ाया” है। (बहारे शरीअत, 1/817) या'नी किसी एक के देने से सब बरिय्युज्जिम्मा हो गए (या'नी सब के सर से फ़र्ज़ उतर गया) वरना जिन जिन को ख़बर पहुंची थी और कफ़न न दिया वोह सब गुनाहगार होंगे।

मस्नून कफ़न

﴿9﴾ मर्द का कफ़न : (1) लिफ़ाफ़ा या'नी चादर (2) इज़ार या'नी तहबन्द (3) क़मीस या'नी कफ़नी। औरत के लिये इन तीन के साथ साथ मज़ीद दो येह हैं : (4) ओढ़नी (5) सीनाबन्द। (160/1, فتاویٰ ہندیہ) ﴿10﴾ जो ना

बालिग़ हद्दे शहवत⁽¹⁾ को पहुंच गया वोह बालिग़ के हुक्म में है या'नी बालिग़ को कफ़न में जितने कपड़े दिये जाते हैं इसे भी दिये जाएं और इस से छोटे लड़के को एक कपड़ा और छोटी लड़की को दो कपड़े दे सकते हैं और लड़के को भी दो कपड़े दिये जाएं तो अच्छा है और बेहतर यह है कि दोनों को पूरा कफ़न दें अगर्चे एक दिन का बच्चा हो। (बहारे शरीअत, 1/819)

﴿11﴾ सिर्फ़ उलमा व मशाइख़ को बा इमामा दफ़न किया जा सकता है, आम लोगों की मय्यित को इमामे के साथ दफ़नाना मन्अ है। (मदनी वसियत नामा, स. 4) ﴿12﴾ मर्द के बदन पर ऐसी खुशबू लगाना जाइज़ नहीं जिस में जा'फ़रान की आमेज़िश (या'नी MIX) हो, औरत के लिये (जा'फ़रान मिली हुई खुशबू) जाइज़ है। (बहारे शरीअत, 1/861) ﴿13﴾ जिस ने एहराम बांधा (और इसी हालत में वफ़ात पाई) है उस के बदन पर भी खुशबू लगाएं और उस का मुंह और सर कफ़न से छुपाया जाए। (बहारे शरीअत, 1/861)

कफ़न की तफ़सील

﴿14﴾ (1) लिफ़ाफ़ा (या'नी चादर) : (येह) मय्यित के क़द से इतनी बड़ी हो कि दोनों तरफ़ बांध सकें (2) इज़ार (या'नी तहबन्द) : चोटी (या'नी सर के शुरूअ) से क़दम तक या'नी लिफ़ाफ़े से इतना छोटा जो बन्दिश के लिये जाइद था (3) क़मीस (या'नी कफ़नी) : गरदन से घुटनों के नीचे तक और येह आगे और पीछे दोनों तरफ़ बराबर हो इस में चाक (या'नी चीरा हुवा) और आस्तीनें न हों। मर्द व औरत की कफ़नी में फ़र्क़ है, मर्द की कफ़नी

① ... हद्दे शहवत लड़कों में येह (है कि) उस का दिल औरतों की तरफ़ रग़बत करे और लड़की में येह कि उसे देख कर मर्द को उस की तरफ़ मैलान (या'नी ख़्वाहिश) पैदा हो और इस का अन्दाज़ा लड़कों में (हिजरी सन के हिसाब से) बारह साल और लड़कियों में नव बरस है। (हाशियए बहारे शरीअत, 1/819)

कन्धों पर चीरें और औरत के लिये सीने की तरफ़ (4) ओढ़नी : तीन हाथ या'नी डेढ़ गज़ की होनी चाहिये (5) सीनाबन्द : पिस्तान से नाफ़ तक और बेहतर यह है कि रान तक हो। (बहारे शरीअत, 1/818, मुलख़्ख़सन) उमूमन तय्यार कफ़न ख़रीद लिया जाता है उस का मय्यित के क़द के मुताबिक़ मस्नून साइज़ का होना ज़रूरी नहीं, यह भी हो सकता है कि इतना ज़ियादा हो कि इसराफ़ में दाख़िल हो जाए, लिहाज़ा एहतियात इसी में है कि थान में से हस्बे ज़रूरत कपड़ा काटा जाए। अगर तय्यार कफ़न लेना पड़ा हो तो ज़ाइद कपड़ा काट कर रख लें, अगर यह कफ़न मय्यित के माल से लिया था तो ज़ाइद कपड़ा विरसे में तक्सीम होगा (15) कफ़न अच्छा होना चाहिये या'नी मर्द ईदैन व जुमुआ के लिये जैसे कपड़े पहनता था और औरत जैसे कपड़े पहन कर मयके जाती थी उस कीमत का होना चाहिये।

(बहारे शरीअत, 1/818)

कफ़न पहनाने का तरीक़ा

(16) गुस्ल देने के बा'द आहिस्ता से बदन किसी पाक कपड़े से पोंछ लीजिये ताकि कफ़न तर न हो, कफ़न को एक या तीन या पांच या सात बार धूनी दीजिये, इस से ज़ियादा नहीं, फिर इस तरह बिछाइये कि पहले “लिफ़ाफ़ा” या'नी बड़ी चादर इस पर “तहबन्द” और इस के ऊपर “कफ़नी” रखिये, अब मय्यित को इस पर लिटाइये और कफ़नी पहनाइये, अब सर, दाढ़ी (और दाढ़ी न हो तो ठोड़ी) और बक़िय्या तमाम जिस्म पर खुशबू मलिये, वोह आ'जा जिन पर सज्दा किया जाता है या'नी पेशानी, नाक, हाथों, घुटनों और क़दमों पर काफ़ूर लगाइये। फिर इज़ार या'नी तहबन्द लपेटिये, पहले बाईं या'नी उलटी जानिब से फिर सीधी जानिब से।

फिर लिफ़ाफ़ा भी इसी तरह पहले बाई या'नी उलटी जानिब से फिर सीधी जानिब से लपेटिये ताकि सीधा ऊपर रहे। सर और पाउं की तरफ़ बांध दीजिये कि उड़ने का अन्देशा न रहे। औरत को “कफ़नी” पहना कर उस के बाल दो हिस्से कर के कफ़नी के ऊपर सीने पर डाल दीजिये और ओढ़नी आधी पीठ के नीचे से बिछा कर सर पर ला कर मुंह पर निकाब की तरह डाल दीजिये कि सीने पर रहे कि उस का तूल (या'नी लम्बाई) आधी पीठ से सीने तक है और अर्ज़ (या'नी चौड़ाई) एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक है फिर ब दस्तूर इज़ार व लिफ़ाफ़ा लपेटिये फिर सब के ऊपर सीनाबन्द पिस्तान के ऊपर से रान तक ला कर बांधिये। (मज़ीद तफ़सीलात के लिये बहारे शरीअत जिल्द अब्वल सफ़हा 817 ता 822 का मुतालआ फ़रमाइये)

“जनाज़ा बाइसे इब्रत है” के पन्दरह हुरूफ़ की निस्बत से जनाज़े के बारे में 15 सुन्नतें और आदाब

- 4 फ़रामीने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : ﴿1﴾ जिसे किसी जनाज़े की ख़बर मिले वोह अहले मय्यित के पास जा कर उन की ता'ज़ियत करे अल्लाह पाक उस के लिये एक क़ीरात सवाब लिखे, फिर अगर जनाज़े के साथ जाए तो अल्लाह पाक दो क़ीरात अज़्र लिखे, फिर उस पर नमाज़ पढ़े तो तीन क़ीरात, फिर दफ़न में हाज़िर हो तो चार और हर क़ीरात कोहे उहुद (या'नी उहुद पहाड़) के बराबर है। (फ़तावा रज़विय्या, 9/401, 47: تحت الحديث: 400/1, عمدة القاري, 1192, ص, مسلم, 1192, حديث: (2162) طهًا)
- ﴿2﴾ मुसलमान के मुसलमान पर छे हुकूफ़ हैं, (उन में से एक येह है कि) जब फ़ौत हो जाए तो उस के जनाज़े में शरीक हो।
- ﴿3﴾ जब कोई जन्नती शख्स फ़ौत हो जाता है, तो अल्लाह पाक हया

फ़रमाता है कि उन लोगों को अज़ाब दे जो इस का जनाज़ा ले कर चले और जो इस के पीछे चले और जिन्होंने इस की नमाज़े जनाज़ा अदा की। (مسند الفردوس، 1/282، حدیث: 1108) (4) बन्दए मोमिन को मरने के बा'द सब से पहली जज़ा येह दी जाएगी कि उस के तमाम शूरकाए जनाज़ा की बख़्शाश कर दी जाएगी। (مسند بزار، 11/86، حدیث: 4796) (5) हज़रते दावूद عَلَيْهِ السَّلَام ने बारगाहे इलाही में अर्ज़ की : **या अल्लाह !** जिस ने सिर्फ़ तुझे राज़ी करने के लिये **जनाज़े** का साथ दिया, उस की जज़ा क्या है ? **अल्लाह** पाक ने फ़रमाया : जिस दिन वोह मरेगा, फ़िरिश्ते उस के **जनाज़े** के साथ चलेंगे और मैं उस की **मग़िफ़रत** करूंगा। (شرح الصدور، ص 97) (6) हज़रते इमाम मालिक बिन अनस رَضِيَ اللهُ عَنْهُ को बा'दे वफ़ात किसी ने ख़्वाब में देख कर पूछा : **يا'नी اَللّٰهُ پاك** ؟ या'नी **अल्लाह** पाक ने आप के साथ क्या सुलूक फ़रमाया ? कहा : एक कलिमे की वज्ह से बख़्शा दिया जो हज़रते उस्माने ग़नी رَضِيَ اللهُ عَنْهُ जनाज़ा देख कर कहा करते थे। (वोह कलिमा येह है :) **اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ الَّتِيْ لَا يَدْخُلُهَا** (1) लिहाज़ा मैं भी **जनाज़ा** देख कर येही कहा करता था, येह कलिमा (कहने) के सबब **अल्लाह** पाक ने मुझे बख़्शा दिया। (احياء العلوم، 5/266 طبعاً) (7) जनाज़े में **अल्लाह** पाक को राज़ी करने, नमाज़े जनाज़ा के फ़र्ज़ की अदाएगी, इब्रत हासिल करने, मय्यित और उस के अज़ीज़ों की दिलजुई करने वगैरा अच्छी अच्छी निय्यतों से शिर्कत करनी चाहिये (8) **जनाज़े** के साथ जाते हुए अपनी मौत और अच्छे बुरे ख़ातिमे के बारे में सोचते रहिये कि मरते वक़्त न जाने मेरा ईमान सलामत रहेगा या नहीं ! आह ! जिस तरह आज इसे ले चले हैं, एक दिन मुझे भी इसी तरह

① ... या'नी वोह जात पाक है जो ज़िन्दा है उसे कभी मौत नहीं आएगी।

ले जाया जाएगा, जिस तरह इसे मनो मिट्टी तले दफ़न किया जाने वाला है, मेरे साथ भी इसी तरह होना है। इस तरह गौरो फ़िक्र करना इबादत व कारे सवाब है (9) **जनाजे** को कन्धा देना सवाब का काम है, नबिय्ये रहमत, शफ़ीए उम्मत صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने हज़रते सा'द बिन मुअज़ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ का **जनाजा** उठाया था। (طبقات لابن سعد، 3/329، البناية، 3/242/3 (طحا)) (10) हदीसे पाक में है : “जो जनाजा ले कर चालीस क़दम चले उस के चालीस कबीरा गुनाह मिटा दिये जाएंगे।” नीज़ हदीस शरीफ़ में है : “जो जनाजे के चारों पायों को कन्धा दे **अल्लाह** पाक उस की हत्मी मग़िफ़रत फ़रमा देगा।” (159، 158/3، در مختار، 39، ص، جوهرة النيرة، 1/823) (11) सुन्नत येह है कि एक के बा'द दूसरे यूं चारों पायों को कन्धा दे और हर बार दस दस क़दम चले। पूरी सुन्नत येह है कि पहले सीधे सिरहाने (या'नी सर की सीधी तरफ़ वाले हिस्से से) कन्धा दे फिर सीधी पाइंती (या'नी सीधे पाउं की तरफ़) फिर उलटे सिरहाने फिर उलटी पाइंती और दस दस क़दम चले तो कुल चालीस क़दम हुए। (162/1، فتاوى هندية، 1/822) बा'ज लोग जनाजे के जुलूस में ए'लान करते रहते हैं : दो दो क़दम चलो ! उन को चाहिये कि इस तरह ए'लान किया करें : “**दस दस क़दम चलो !**” (12) **जनाजे** को कन्धा देते वक़्त जान बूझ कर ईजा देने वाले अन्दाज़ में लोगों को धक्के देना जैसा कि बा'ज लोग किसी शख़्सियत के जनाजे में या जहां मूवी वगैरा बनाई जा रही हो वहां करते हैं येह ना जाइज़ व हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है (13) **छोटे** बच्चे का जनाजा अगर एक शख़्स हाथ पर उठा कर ले चले तो हरज नहीं और यके बा'द दीगरे (या'नी एक के बा'द दूसरे) लोग हाथों में लेते रहें। (162/1، فتاوى هندية، 1/822) औरतों

को (बच्चा हो या बड़ा किसी के भी) जनाजे के साथ जाना **ना जाइज़** व मम्मूअ है। (बहारे शरीअत, 1/823, 162/3, १६३) ﴿14﴾ **शौहर** अपनी बीवी के **जनाजे** को कन्धा भी दे सकता है, क़ब्र में भी उतार सकता है और मुंह भी देख सकता है। सिर्फ़ गुस्ल देने और बिला हाइल (बिगैर कपड़े के) बदन को छूने की मुमानअत है। (बहारे शरीअत, 1/812, 813) ﴿15﴾ **जनाजे** के साथ बुलन्द आवाज़ से कलिमए तय्यिबा या कलिमए शहादत या हम्दो ना'त वगैरा पढ़ना जाइज़ है। (देखिये : फ़तावा रज़विyyा जिल्द 9 सफ़हा 139 ता 158)

जनाज़ा आगे आगे कह रहा है ऐ जहां वालो ! मेरे पीछे चले आओ तुम्हारा रहनुमा मैं हूँ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ❀❀❀ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

“दूसरों की मौत से नसीहत पकड़ो” के बाईस हुरूफ़ की निस्बत से क़ब्र व दफ़न की 22 सुन्नतें और आदाब

﴿1﴾ फ़रमाने इलाही :

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا

أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا

(پ 29، المرسلات: 25، 26)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : क्या हम ने ज़मीन को जम्अ करने वाली न किया, तुम्हारे जिन्दों और मुर्दों की।

इस आयते मुबारका के तहत “नूरुल इरफ़ान” सफ़हा 927 पर है : “इस तरह कि जिन्दे ज़मीन की पुश्त (या'नी पीठ) पर और मुर्दे ज़मीन के पेट में जम्अ हैं” ﴿2﴾ मय्यित को दफ़न करना फ़र्जे किफ़ायया है (या'नी एक ने भी दफ़ना दिया तो सब बरिय्युज्जिम्मा हो गए, वरना जिस जिस को ख़बर पहुंची थी और न दफ़नाया गुनहगार हुवा) येह जाइज़ नहीं कि मय्यित को ज़मीन पर रख दें और चारों तरफ़ से दीवारें काइम कर के बन्द कर दें।

(बहारे शरीअत, 1/842) (3) कब्रें भी अल्लाह करीम की ने'मत हैं कि जिन में मुर्दे दफ़न कर दिये जाते हैं ताकि जानवर और दूसरी चीजें इन की तौहीन न करें (4) सालिहीन (या'नी नेक बन्दों) के क़रीब दफ़न करना चाहिये कि उन के कुर्ब की बरकत इसे शामिल होती है, अगर **مَعَادَ اللَّهِ** मुस्तहिक़के अज़ाब (या'नी अज़ाब का हक़दार) भी हो जाता है तो वोह शफ़ाअत करते हैं, वोह रहमत कि उन (नेक बन्दों) पर नाज़िल होती है इसे (या'नी गुनहगार को) भी घेर लेती है। हृदीसे पाक में है नबिय्ये करीम **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** फ़रमाते हैं : “अपने अम्वात (या'नी मुर्दों) को अच्छे लोगों के साथ दफ़न करो।” (9042: رقم، 390/6، حلیة الاولیاء، ح) (5) रात को दफ़न करने में कोई हरज नहीं। (141) (6) एक क़ब्र में एक से ज़ियादा बिला ज़रूरत दफ़न करना जाइज़ नहीं और ज़रूरत हो तो कर सकते हैं। (बहारे शरीअत, 1/846, 166/1) (7) जनाज़ा क़ब्र से क़िब्ले की जानिब रखना मुस्तहब है ताकि मथ्यित क़िब्ले की तरफ़ से क़ब्र में उतारी जाए। क़ब्र की पाइंती (या'नी पाउं की जानिब वाली जगह) रख कर सर की तरफ़ से न लाएं। (बहारे शरीअत, 1/844) (8) हस्बे ज़रूरत दो या तीन और बेहतर येह है कि क़वी (या'नी ताक़त वर) और नेक आदमी क़ब्र में उतरें। औरत की मथ्यित महारिम उतारें येह न हों तो दीगर रिश्तेदार, येह भी न हों तो परहेज़ गारों से उतरवाएं। (166/1) (9) औरत की मथ्यित को उतारने से ले कर तख़्ते लगाने तक किसी कपड़े से छुपाए रखें (10) क़ब्र में उतारते वक़्त येह दुआ पढ़ें : **(11) (تنوير الابصار، 3/166) (1) بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ** :

1 ... तरजमा : अल्लाह के नाम से और अल्लाह के रसूल **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** के दीन पर (क़ब्र में रखता हूँ)।

मय्यित को सीधी करवट पर लिटाएं और उस का मुंह क़िब्ले की तरफ़ कर दें और कफ़न की बन्दिश खोल दें कि अब ज़रूरत नहीं, न खोली तो भी हरज नहीं। (140) (فتاوىٰ ہندیہ، 1/166، جوہرۃ النیرۃ، ص 140) ﴿12﴾ कफ़न की गिरह खोलने वाला येह दुआ पढ़े : **(1)** اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْْنَا أَجْرًا وَلَا تَفْتِنْنَا بَعْدَهُ : (حاشیہ الطحاوی علی مراتی الفلاح، ص 609) ﴿13﴾ कब्र कच्ची ईंटों **(2)** से बन्द कर दें अगर ज़मीन नर्म हो तो (लकड़ी के) तख़्ते लगाना भी जाइज है। (बहारे शरीअत, 1/844) ﴿14﴾ अब मिट्टी दी जाए, मुस्तहब येह है कि सिरहाने की तरफ़ से दोनों हाथों से तीन बार मिट्टी डालें। पहली बार कहें : **(3)** مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ, दूसरी बार **(4)** وَفِيهَا نَعِيدُكُمْ, तीसरी बार **(5)** وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى कहें। अब बाकी मिट्टी फावड़े वगैरा से डाल दें। (141) (الجوہرۃ النیرۃ، ص 141) ﴿15﴾ जितनी मिट्टी कब्र से निकली है उस से ज़ियादा डालना मकरूह है। (فتاوىٰ ہندیہ، 1/661) ﴿16﴾ हाथ में जो मिट्टी लगी है, उसे झाड़ दें या धो डालें इख़्तियार है (बहारे शरीअत, 1/458) ﴿17﴾ कब्र चौखूटी (या'नी चार कोनों वाली) न बनाएं बल्कि इस में ढाल रखें जैसे ऊंट का कोहान, (दफ़न के बा'द) इस पर पानी छिड़कना बेहतर है, कब्र एक बालिशत ऊंची हो या मा'मूली सी जाइद। (बहारे शरीअत, 1/846, मुलख़बसन, 168/3, ردالمحتار) दफ़न के बा'द कब्र पर अज़ान देना कारे सवाब और मय्यित के लिये

1 ... तरजमा : ऐ अल्लाह! हमें इस के अज़ से महरूम न कर और हमें इस के बा'द फ़ितने में न डाल।

2 ... कब्र के अन्दरूनी हिस्से में आग की पकी हुई ईंटें लगाना मन्अ है मगर अक्सर अब सिमेन्ट की दीवारों और स्लेब का रवाज है लिहाज़ा सिमेन्ट की दीवारों और सिमेन्ट के तख़्तों का वोह हिस्सा जो अन्दर की तरफ़ रखना है कच्ची मिट्टी के गारे से लेप दें। अल्लाह पाक मुसलमानों को आग के असर से महफूज़ रखे। **أَمِين بِجَاوِحَاتِمِ التَّيْبِينِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**।

3 ... हम ने ज़मीन ही से तुम्हें बनाया।

4 ... और इसी में तुम्हें फिर ले जाएंगे।

5 ... और इसी से तुम्हें दोबारा निकालेंगे।

निहायत नफ़अ बख़्श है। (फ़तावा रज़विय्या, 5/370, माखूज़न) ﴿18﴾ मुस्तहब यह है कि दफ़न के बा'द क़ब्र पर सूरए बक़रह का अव्वल व आख़िर पढ़ें, सिरहाने (या'नी सर की जानिब) **مِنَ الْمَمِّ** से **مُقْلَحُونَ** तक और पाइंती (या'नी पाउं की तरफ़) **أَمِنَ الرَّسُولُ** से ख़त्म सूरत तक पढ़ें। (बहारे शरीअत, 1/846) ﴿19﴾ दफ़न के बा'द क़ब्र के पास इतनी देर तक ठहरना मुस्तहब है जितनी देर में ऊंट ज़ब्ह कर के गोशत तक्सीम कर दिया जाए, कि उन के रहने से मय्यित को उन्स होगा (या'नी महब्वत और अपनाइयत मिलेगी) और नकीरैन का जवाब देने में वहशत (या'नी घबराहट) न होगी और इतनी देर तक तिलावते कुरआन और मय्यित के लिये दुआ व इस्तिफ़ार करें और यह दुआ करें कि सुवाले नकीरैन के जवाब में साबित क़दम रहे। (बहारे शरीअत, 1/846, ब तग़य्युर) ﴿20﴾ शजरा या अहद नामा क़ब्र में रखना जाइज़ है और बेहतर यह है कि मय्यित के मुंह के सामने क़िब्ले की जानिब ताक़ खोद कर उस में रखें, बल्कि “दुरें मुख़्तार” में कफ़न पर अहद नामा लिखने को जाइज़ कहा है और फ़रमाया कि इस से मग़िफ़रत की उम्मीद है और मय्यित के सीने और पेशानी पर **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** लिखना जाइज़ है। एक शख़्स ने इस की वसिय्यत की थी, इन्तिक़ाल के बा'द सीने और पेशानी पर **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** लिख दिया गया, फिर किसी ने उन्हें ख़्वाब में देखा, हाल पूछा, कहा : जब मैं क़ब्र में रखा गया, अज़ाब के फ़िरिशते आए, फ़िरिशतों ने जब पेशानी पर **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** लिखा देखा, कहा : तू अज़ाब से बच गया। (बहारे शरीअत, 1/848, 170/2, فتاوى تاتارخانيه، 153/3، در مختار)

﴿21﴾ यूं भी हो सकता है कि पेशानी पर **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** लिखें और सीने पर कलिमाए तय्यिबा (صلى الله عليه وآله وسلم) मगर

पाक उस फ़ौत शुदा बन्दे की क़ब्र में नूर पैदा करेगा और इस (सवाब पहुंचाने वाले) शख्स को बहुत ज़ियादा सवाब अता फ़रमाएगा । (350/5, فتاویٰ ہندیہ) ﴿6﴾ मज़ार शरीफ़ या क़ब्र की ज़ियारत के लिये जाते हुए रास्ते में फुजूल बातों में मशगूल न हों । (350/5, فتاویٰ ہندیہ) ﴿7﴾ क़ब्र को बोसा न दें, न क़ब्र पर हाथ लगाएं । (फ़तावा रज़विय्या, 9/522, 526) बल्कि क़ब्र से कुछ फ़ासिले पर खड़े हो जाएं ﴿8﴾ क़ब्र को सज्दए ता'जीमी करना **हराम** है और अगर इबादत की निय्यत हो तो **कुफ़्र** है । (फ़तावा रज़विय्या, 22/423) ﴿9﴾ क़ब्रिस्तान में उस आम रास्ते से जाएं, जहां माज़ी (PAST) में कभी भी मुसलमानों की क़ब्रें न थीं, जो रास्ता नया बना हुवा हो उस पर न चलें । “फ़तावा शामी” में है : (क़ब्रिस्तान में क़ब्रें मिटा कर) जो नया रास्ता निकाला गया हो उस पर चलना **हराम** है । (612/1, فتاویٰ ہندیہ) बल्कि नए रास्ते का सिर्फ़ गुमान (या'नी शक) हो तब भी उस पर चलना ना जाइज़ व गुनाह है । (183/3, فتاویٰ ہندیہ) ﴿10﴾ कई मज़ारते औलिया पर देखा गया है कि ज़ाइरीन की सहूलत की ख़ातिर मुसलमानों की क़ब्रें मिस्मार (या'नी तोड़ फोड़) कर के फ़र्श बना दिया जाता है, ऐसे फ़र्श पर लैटना, चलना, खड़ा होना, तिलावत और ज़िक्रो अज़्कार के लिये बैठना वगैरा **हराम** है, दूर ही से फ़ातिहा पढ़ लीजिये ﴿11﴾ ज़ियारते क़ब्र मय्यत के मुवाजहा में (या'नी चेहरे के सामने) खड़े हो कर हो और उस (या'नी क़ब्र वाले) की पाइंती (या'नी क़दमों) की तरफ़ से जाए कि उस की निगाह के सामने हो, सिरहाने (या'नी सर की जानिब) से न आए कि उसे सर उठा कर देखना पड़े (फ़तावा रज़विय्या, 9/532) ﴿12﴾ क़ब्रिस्तान में इस तरह खड़े हों कि क़िब्ले की तरफ़ पीठ और क़ब्र वालों के चेहरों की तरफ़ मुंह हो इस के बा'द कहिये :

اگلے ہفتے کا ریسالا

